न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)

जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या :– 98/2025

सी.आई.एस. नं. :– 98/2025

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 240/2024, आरक्षी केन्द्र जसोल,

CNR : RJBA010009032025

राजस्थान राज्य ।

विरुद्ध

1. मुकेश कुमार पुत्र ओंकाराम, उम्र 26 वर्ष,
2. अशोक कुमार पुत्र ओंकाराम, उम्र 24 वर्ष, निवासिगण टापरा, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा ।

---- अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 331(5), 324(5), 324(6), 326(G), 118(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री खेतसिंह महेचा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

:: निर्णय ::

दिनांक : 19.06.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.12.2024 को परिवादी तेजाराम ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि दिनांक 09.12.2024 को रात्रि करीब 11.30 बजे वह, उसकी पत्नि मदीयादेवी व उसकी बच्ची अंजली खाना खा कर सो रहे थे तब मुकेश पुत्र ओंकाराम हाथ में धारियां लेकर उसके घर में अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर उनके साथ मारपीट करने लगा तथा उसे जान से मारने हेतु उल्टे धारिये से उसकी पीठ पर चोट मारी जिससे उसका शर्ट फट गया ।

उन्होंने रड़े की तो उनके भाई राणाराम आवाज सुनकर बीच में आया तो उसके भाई के भी चोट लगी । बाहर खड़े अशोक, जुंजाराम व सुजाराम ने मिलकर उनकी बाड़ में आग लगा दी जिससे उनके घर में पड़ी मोटरसाईकिल आरजे 39 एसके 6674 भी पूरी तरह से जल गई व पास में बकरी का जिंदा बच्चा जल गया तथा दो बकरियां झुलस गई और पास पड़ी साईकिल भी जल गई । उक्त सभी मुलजिमानों ने मिलकर उसके घर का सामान तोड़फोड़ कर नुकसान किया व उसकी पेटी में रखे 70,000/– रुपये भी चोरी कर ले गए ..... इत्यादि ।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जसोल में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/2024, अपराध अंतर्गत धारा 331(5), 115(2), 326(G), 324(5), 305(A) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज कर, अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115(2), 331(5), 326(G), 324(5), 324(6), 118(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अपराध प्रमाणित मान आरोप–पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बालोतरा में दिनांक 06.06.2025 को पेश किया गया । मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बालोतरा ने इस न्यायालय को कमिट किया जो इस न्यायालय में दिनांक 14.07.2025 को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया ।

3. प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान आहतगण तेजाराम, अंजली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता तेजाराम, मदीयादेवी व मुलजिमान मुकेश कुमार व अशोक कुमार ने धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध में राजीनामा पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये राजीनामा धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध से दिनांक 25.02.2026 को दोषमुक्त किया गया । अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 331(5), 326(G), 324(5), 324(6), 118(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत ही विचारण शेष रहा है जिसका निर्णय किया जा रहा है ।

4. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 331(5), 326(G), 324(5), 324(6), 118(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गयाः–

गवाह संख्या	नाम गवाह	गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज
पी.डब्ल्यू. 01	तेजाराम	प्रदर्श पी 01 ता 03
पी.डब्ल्यू. 02	राणाराम	प्रदर्श पी 04
पी.डब्ल्यू. 03	मदीयादेवी	प्रदर्श पी 05
पी.डब्ल्यू. 04	अंजली	प्रदर्श पी 06
पी.डब्ल्यू. 05	शंकरराम	प्रदर्श पी 02 व 07

6. परिवादी के पक्षद्रोही होने से लोक अभियोजक ने दीगर गवाहान को तर्क किया, जिस पर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई ।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

प्रदर्श पी 01	पुलिस रिपोर्ट
प्रदर्श पी 02	फर्द नक्शा मौका हालात मौका
प्रदर्श पी 03	पुलिस बयान तेजाराम
प्रदर्श पी 04	पुलिस बयान राणाराम
प्रदर्श पी 05	पुलिस बयान मदीयादेवी
प्रदर्श पी 06	पुलिस बयान अंजली
प्रदर्श पी 07	फर्द निरीक्षण जली हुई मोटरसाईकिल

8. अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए उनके द्वारा अपराध नहीं करना कथन किया । प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की ।

9. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

10. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया ।

11. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में परिवादी/आहगतगण तेजाराम, मदियादेवी, अंजली व राणाराम पक्षद्रोही हुए हैं । परिवादी ने पुलिस रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की ताईद नहीं की है । अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित

अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

12. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

13. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य प्रश्न हैः–

1. "आया अभियुक्तगण ने दिनांक 09.12.2024 को वक्त रात्रि करीब 11.30 बजे सरहद मौजा टापरा में उपहति व हमले की तैयारी के पश्चात् परिवादी तेजाराम के रहवासीय मकान में अनाधिकृत प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया" ?
2. "आया अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरुबान तेजाराम, मदीयादेवी व अंजली कुमारी के साथ खतरनाक (Cutting) आयुध द्वारा स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहति कारित की " ?
3. "आया अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी तेजाराम व उसके परिवार के सदस्यों को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके घर के बाहर लगे बिजली मीटर व सिलाई मशीन में तोड़फोड़ कर रिष्टि कारित की " ?
4. "आया अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी तेजाराम के रहवासीय मकान की बाड़ में आग लगा दी, जिससे उसके रहवासीय मकान की बाड़, मोटरसाईकिल, साईकिल व बकरी का बच्चा इत्यादि जल कर नष्ट हो गए । इस प्रकार अभियुक्तगण ने परिवादी तेजाराम को अग्नि द्वारा रिष्टि कारित की " ?
5. "यदि अवधार्य प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उचित दण्ड क्या होगा" ?

14. अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करवाये जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 05 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 07 प्रदर्शित करवाये हैं ।

15. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करवाए जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की है, उसमें पीडब्ल्यू 01 तेजाराम परिवादी है जो पक्षद्रोही हुआ है, जिसने उसके मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह परिवार सहित टापरा में रहता है । दिनांक 09.12.2024 को रात्रि 11.30 बजे वह, उसकी पत्नि व उसके बच्चे खाना खाकर सो गए । उसके घर में रात्रि में धुंआ निकलने से उसकी नींद खुली तब शॉर्ट सर्किट से उसके घर में आग लग गई थी । वह अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर गया तब बाहर काफी लोग खड़े थे । बाहर खड़े लोगों से उसकी बोलचाल हो गई । आग लगने की उसने थाने में रिपोर्ट की थी । उसके घर में आग कैसे लगी उसने किसी को आग लगाते नहीं देखा । घर के बाहर खड़े लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी किसने की, वह नहीं बता सकता । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** कथन किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का ए से बी भाग "तब मुकेश.....अस्पताल में भर्ती है" पुलिस को ऐसी रिपोर्ट देने से इंकार किया अजखुद कहा कि वह घबराया हुआ था । रिपोर्ट में क्या लिखा है उसने पढ़ा नहीं था । यह स्वीकार किया कि नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर है । यह अस्वीकार किया कि दिनांक 11.12.2024 को पुलिस ने उसके रहवासीय मकान जिसमें मुकेश व अशोक ने आग लगाई व मारपीट की उस जगह का मौका देखा हो । उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे । पुलिस बयान प्रदर्श पी 03 का हिस्सा ए से बी "तब मुकेश.....आई थी" पुलिस को देने से इंकार किया । यह अस्वीकार किया कि दिनांक 09.12.2024 को रात्रि 11.30 बजे उसके घर टापरा में मुकेश व अशोक लाठियां व धारियां लेकर आए हो व उसके घर में जबरदस्ती घुसकर उसके, उसकी पत्नि, बच्चे व उसके भाई के साथ गंभीर मारपीट कर चोटें पहुँचाई हो । यह भी अस्वीकार किया कि मुकेश व अशोक ने उसके घर में पड़ी मोटरसाईकिल व घर की बाड़ में आग लगाई हो, जिससे घर में बंधी बकरियां व घर बिक्री का सामान जलकर नुकसान किया हो ।

16. पीडब्ल्यू 02 राणाराम, पीडब्ल्यू 03 मदीयादेवी व पीडब्ल्यू 04 अंजली सभी गवाह पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन करते हुए साक्ष्य नहीं दी है ।

17. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहों में पीडब्ल्यू 05 शंकराराम फर्द नक्शा मौका हालात मौका व फर्द निरीक्षण जली हुई मोटरसाईकिल का गवाह है जो भी पक्षद्रोही हुआ है जिसने उसके बयान तिथि से करीब डेढ साल पहले पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं करना व उसे जानकारी नहीं होना कथन किया है । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** यह अस्वीकार किया किया कि दिनांक 11.12.2024 को पुलिस ने तेजाराम के घर का मौका देखकर लिखापढ़ी कर उसके हस्ताक्षर करवाये हो तथा उसी रोज पुलिस ने तेजाराम की जली हुई मोटरसाईकिल का निरीक्षण किया हो अजखुद कहा कि पुलिस ने थाने में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे ।

18. अभियोजन की ओर से पेश गवाहों में महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी पीडब्ल्यू 01 तेजाराम पक्षद्रोही हुआ है, जिसने इस तथ्य से इंकार किया कि दिनांक 09.12.2024 को रात्रि 11.30 बजे उसके घर टापरा में मुकेश व अशोक लाठियां व धारियां लेकर आए हो व उसके घर में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ उसकी पत्नि, बच्चे व उसके भाई के साथ गंभीर मारपीट कर चोटें पहुँचाई हो तथा मुकेश व अशोक ने उसके घर में पड़ी मोटरसाईकिल व घर की बाड़ में आग लगाई हो एवं घर में बंधी बकरियों व घर बिक्री का सामान जलाकर नुकसान किया हो । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह/आहत पी.डब्ल्यू. 02 राणाराम, पी.डब्ल्यू. 03 मदीयादेवी, पी.डब्ल्यू. 04 अंजली व पी.डब्ल्यू. 05 शंकरराम भी पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

19. इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से, यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 09.12.2024 को वक्त रात्रि करीब 11.30 बजे सरहद मौजा टापरा में उपहति व हमले की तैयारी के पश्चात् परिवादी तेजाराम के रहवासीय मकान में अनाधिकृत प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कर मजरुबान तेजाराम, मदीयादेवी व अंजली कुमारी के साथ खतरनाक (Cutting) आयुध द्वारा स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहति कारित की हो, परिवादी तेजाराम व उसके परिवार के सदस्यों को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके घर के बाहर लगे बिजली के मीटर व सिलाई मशीन में तोड़फोड़ कर रिष्टि कारित की हो तथा परिवादी तेजाराम के रहवासीय मकान की बाड़ में आग लगा दी, जिससे उसके रहवासीय मकान की बाड़, मोटरसाईकिल, साईकिल व बकरी का बच्चा इत्यादि जल कर नष्ट हुए हो, जिससे अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

20. परिणामतः अभियुक्तगण **1. मुकेश कुमार पुत्र ओंकाराम, उम्र 26 वर्ष 2. अशोक कुमार पुत्र ओंकाराम, उम्र 24 वर्ष, निवासिगण टापरा, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 331(5), 326(G), 324(5), 324(6), 118(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्तगण को धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध से दिनांक 25.02.2026 को जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है ।

21. इस न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत् अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में पेश बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं ।

22. धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, प्रत्येक अभियुक्त इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में, अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत 10,000/– रुपये का जमानत मुचलके पेश किये जा चुके हैं ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

23. निर्णय आज दिनांक 19.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO
Steno Gr. III "Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.06.20 08:01:29 +0530